प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर,रायगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छ.ग.रायपुर

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 केअंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अशायित है, अर्थात-

जिला	तहसील	ग्राम नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	पुसौर	बोड़ाझरिया	3.107 हे.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन की सामाजिक समाधात निर्धारण के अद्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-5-2017 को समय दिन के 11.00 बजे स्थान ग्राम बोड़ाझरिया पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है।

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 12.07.2009 को छ.ग.सरकार एवं एनटीपीसी लि. (भारत सरकार का उपक्रम) के बीच हुई समझोता (MOU) के अनुसार एनटीपीसी तहसील पुसौर के अंतग्रत लारा क्षेत्र में स्टेज-1 (2x800 मे.वा.) तथा स्टेज-11 (3x800 मे.वाट) थर्मल पावर परियोजना संयत्र के स्थापना हेतु जिसका 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य को जायेगा।

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या- 13

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारोंकी संख्या- 65

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों का अनुमानित संख्या - निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकन तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या - निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्युनतम है - हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है। - हां उल्लेखित भूमि जलाशय योजना हेतु पूर्व में प्रस्तावित होने पर अवार्ड कार्यवाही से पृथक किये जाने के कारण पूरक प्रस्ताव में प्रस्तावित है।

(आठ) परियोजना की कुल लागत रू. 11742 करोड़

(नौ) परियोजना से होने वाला कुल लाभ- एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना से बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य को जायेगा। विद्युत परियोजना के स्थापित होने पर क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास कोगति मिलेगी। साथ ही परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर की भी उपलब्धता होगी जिसमें अधिकतम संख्या अकुशल श्रमिकों कीहोगी जो यथा संभव स्थानीय होगे।

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय- भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 11 में दर्शीयी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावयेगा। संभावित व्यय रू.पांच लाख या वास्तविक ब्यय जो भी अधिक हो।

(ग्यारह) परियोजनाद्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक - निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कलेक्टर,
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रतिहस्ताक्षर

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)